न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 702 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 30 / 2025

विकाश कुमार, पिता–जयराम पासवान, उम्र करीब 20 वर्ष
साकिन–बिचली मलाही, थाना–बाढ़, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री राम कुमार सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 रहमान

आदेश

03.08.2026 आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 30 / 2025, अंतर्गत धारा 331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक मामले लंबित हैं। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नही है और न इनके पास से कुछ भी बरामद हुआ है। अभियोजन वाद झूठा एवं बनावटी है। सूचक इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। इस वाद के सह अभियुक्त उपेन्द्र कुमार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने को निर्दोष साबित करने हेतू आवेदक अभियुक्त का नाम लिया है। सह अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया है और इन पर लगाये गये आरोप भी समान है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक मिथलेश कुमार सिंह है, जिसने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बाढ़ को दिया है, जिसमें सूचक का कहना है कि दिनांक 11.01.25 को रात में अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। उस दिन सूचक अपना गॉव धनवॉ चले गये थे। जाते समय अपना मकान में ताला लगा कर गये थे। चोरी में दो सोना का चेन, दो पीस अंगुठी, एक टीका और एक कान का बाला, चार जोड़ा पायल चॉदी का तथा नगद 8 हजार रुपया लेकर अज्ञात चोर फरार हो गया। जब सूचक घर आये तो देखा सारा समान बिखरा पड़ा है और सारा समान गायब है।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। उसका नाम सह अभियुक्त उपेन्द्र कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। आवेदक अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 702 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 30 / 2025

लगातार
03.08.2026

साथ मिलकर सूचक के घर से सोना–चांदी के गहने चोरी करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा– 02 में वादी मिथलेश कुमार सिंह, पारा–03 में समीर कुमार उर्फ गोलू, पारा–09 में ग्यान्ती देवी, पारा–10 में साहील कुमार, पारा–11 में साक्षी सुमन कुमार का बयान अंकित किया गया है। कांड दैनिकी के पारा– 16 के अनुसार दो लड़का शब्बी कुमार तथा सौरभ कुमार पर शक किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–17 में चोरी का माल बरामद की बात कही गई है। कांड दैनिकी के पारा–18 में गिरफ्तार अभियुक्त का नाम आया है। पारा 22, 23, 24, 25 एवं 30 में जप्ती सूची के गवाह हैं। पारा–28 में समानों की जप्ती सूची है। कांड दैनिकी के पारा–37 में आवेदक अभियुक्त उपेन्द्र कुमार का स्वीकारोक्ति बयान अंकित किया गया है, जिसमें आवेदक अभियुक्त का नाम आया है, जो कांड दैनिकी में अलग से संलग्न है। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लक्की वर्मा ज्वेलर्स दुकान का कुछ ज्वैलरी बरामद किया गया है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अन्य सभी सह अभियुक्तों को आरोप गठन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एवं कुछ को इस न्यायालय के द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। आवेदक अभियुक्त का चार आपराधिक इतिहास है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को इस स्थल पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो नियमित जमानत हेतू आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ